न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–1, हरदोई।

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–21/2025

रामनरायन आदि बनाम प्रदीप कुमार सिंह आदि

दिनांक–11.08.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। वादी रामनरायन के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 17 ग पर सुना गया।

2. वादी रामनरायन की ओर से प्रार्थना पत्र 17 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 व धारा 151 जा०दी० प्रस्तुत कर कथन किया है कि योग्य अधीन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने अपील सफलता की सम्पूर्ण आशा से प्रस्तुत की है। श्रीमानजी द्वारा स्थगनादेश की जानकारी होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण/विपक्षीगण गांवों की स्थिति लगातार जरिये पुलिस करना चाहते है, जिसके कारण मौके की स्थिति न्यायालय के समक्ष आना न्यायहित में अति आवश्यक है। विपक्षी द्वारा भी योग्य आधीन न्यायालय में इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतः उक्त अपील में न्यायालय द्वारा अमीन की नियुक्ति की जाये तथा निर्देशित किया जाये कि वह बादहू देने सूचना पक्षकार मौके पर जाकर विवादित सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 के मकान का नक्शा पैमाने पर बनाये तथा उभय पक्ष जो मौके पर बतावे तथा योग्य अमीन महोदय मौके पर पावे के बावत विस्तृत आख्या सहित नक्शा न्यायालय द्वारा निश्चित अवधि के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करे। जिससे अपील का निस्तारण गुणदोषों के आधार पर किया जा सके।

3. विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 17 ग पर मौखिक आपत्ति की गयी है तथा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपील मूल वाद संख्या 390/2025 रामनरायन आदि बनाम प्रदीप कुमार आदि की पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त किया है। इस अपील में यह देखा जाना है कि क्या आलोच्य आदेश विधि–विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है अथवा नहीं। मौके की वर्तमान स्थिति नहीं देखी जानी है। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 धारा 151 जा०दी० अन्तर्गत दिया जाना कहा गया है। उक्त आदेश 39 नियम 7 जा०दी० के अन्तर्गत किसी वाद के किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर किसी सम्पत्ति के निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण का आदेश करने का प्रावधान है तथा आदि के किसी भी पक्षकार के कब्जे में किसी भूमि या भवन में पूर्वोक्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रवेश करने हेतु किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने का अधिकार है तथा पूर्वोक्त तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी ऐसे नमूनों का लिया जाना या किसी भी ऐसे प्रेक्षण का प्रयोग किया जाना

Digitally signed by KUSUM LATA RATHORE
Date: 2025.08.12 15:09:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जो विधिक जानकारों या साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो प्राधिकृत कर सकने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान किसी वाद की कार्यवाहियों मे किया जाने का प्रावधान है। वर्तमान मामला अपील का है। जिसमें आलोच्य आदेश की वैधानिकता को परखने के लिए किसी अमीन की नियुक्ति कर प्रश्नगत मकान का नक्शा पैमाने पर बनवाकर विस्तृत आख्या मंगाये जाने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 17 ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 17 ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.09.2025 को पेश हो।

दिनांक–11.08.2025

अपर जिला जज, कोर्ट संख्या–1,
हरदोई।